राजस्थान सरकार,

वित्त (ग्रुप – 2) विभाग

प्रेषक :–

वित्त आयुक्त एवं शासन सचिव ।

प्रेषिति :–

निदेशक,

पेंशन विभाग,

राज. जयपुर

क्रमांक :– प.(3) वित्त/ग्रुप–2/70 जयपुर दिनांक 15–12–90

विषयः– पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों/अधिकारियों की पेंशन अंशदान वसूली के संबंध में ।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या अव/सह.वि./पी.27/5144 दिनांक 5.12.90

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग से जारी ज्ञापन सं. एफ. 3वित्त/ग्रुप–2/76 दिनांक 23–1–76 से प्रतिनियुक्ति को अवधि एवं शर्ते निर्धारित की गई थी । उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 applicability में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 9–7–76 से दो उप अनुच्छेद जोड़ें गये थे जिसके उप अनुच्छेद ( ) के अनुसार सहकारी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी यदि पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं उन पर इस विभाग से जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23–1–76 लागू नहीं होंगे ।

सहकारी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी जब पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं तो उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्ते सहकारी विभाग के आदेश संख्या एफ.18 (75) / सह.76 दिनांक 13–7–76 एवं 29–11–76 (प्रति संलग्न) से नियमित होती है, जिसके अन्तर्गत अवकाश, कार्यग्रहण काल, यात्रा भत्ता एवं अवकाश व पेंशन अंशदान के संबंध में इस विभाग से जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 23–1–76 में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है । इस प्रकार सहकारी विभाग के कर्मचारी/अधिकारी पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर रहते हैं तो इन संस्थाओं से पेंशन अंशदान लिया जाना आवश्यक है ।

एस.डी.

वरिष्ठ लेखाधिकारी